

### दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें, एलापीजी की किल्लत से रोज़ेदारों की भी बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गैस एलापीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर जमीनी हकीकत और आधिकारिक दलों के बीच एक भारी अंतर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के गांधी नगर स्थित इंडेन गैस सर्विस पर सुबह से ही घाड़कों की लंबी कतारें लगी हैं। एक तरफ गैस एजेंसी किसी भी तरह की शॉर्टेज (कमी) से साफ़ इनकार कर रही है, वहीं आम जनता पेटों लालन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर है। एजेंसी की काउंटर अटेंडेंट योनि ने गैस की किल्लत से इनकार करते हुए बताया, हमारे पास सिलेंडर का पार्श्व स्टॉक है।

# सक्षम भारत

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 143 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 20 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनापारिक गौता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

## ईडी की अर्जी पर केजरीवाल-सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली मोहलत, 2 अप्रैल को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुबह (19 मार्च) को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को ईडी की उस याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया, जिसमें आबकारी नीति ध्रुवचर मामले में सभी को बरी करते समय विशेष न्यायालय द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी आरोपियों को उनके वकीलों के अनुरोध पर समय दिया। ईडी की ओर से सहायक सरकारी वकील एसवी राजू और विशेष वकील जोहंन हुसैन उपस्थित हुए। शुरुआत में अभियुक्तों के वकील ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के

लिए समय मांगा। इस पर हुसैन ने कहा कि उनके जवाब मांगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी अभियुक्तों को याचिका की प्रति विधिवत रूप से दी जा चुकी है। राजू ने कहा कि अभियुक्त केवल कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं और यदि एजेंसी के पक्ष में कोई आदेश पारित होता है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। न्यायधीश ने प्रतिवादियों के वकील से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अभियोजन पक्ष कह रहा है कि पिछले अदालत के न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है। मैंने उन्हें (पिछली तारीख को) बताया था कि मैं भी ऐसी टिप्पणियां करता हूँ। मेरा मानना है कि मुझे



यह तय करना होगा कि न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है या नहीं। आप (आरोपी) ने कहा था कि आप जवाब दाखिल करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि आपको 600 पन्ने पढ़ने हैं। आपको एक और हफ्ता चाहिए, तो ले लीजिए। दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में जब मामले पर सुनवाई हुई तो अदालत ने केजरीवाल और अन्य

को ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि मैंने आदेश पारित कर दिया है, अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इसे 2 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया जाए। हम सुनवाई करेंगे और फिर अंतिम आदेश पारित करेंगे। वे (ईडी) शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप (प्रतिवादी) उस तारीख को शुरू भी न करें। केवल 2 तारीख को जवाब मांगा गया है। उस दिन कुछ नहीं होगा। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी है। ईडी ने कहा है कि वह सीबीआई की कार्यवाही में किसी भी रूप में पक्षकार नहीं थी और प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज किए जाने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर

नहीं दिया गया। एजेंसी के अनुसार, यह स्थिति प्राकृतिक न्याय और न्यायिक मर्यादा के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है, 'यदि इस तरह की व्यापक, अनियंत्रित और निराधार टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया जाता है, जो प्रवर्तन निदेशालय की पीठ पीछे केवल अनुमानों के आधार पर की गई हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई सामग्री या साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है, क्योंकि इन टिप्पणियों को करते समय न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायतों से संबंधित नहीं था, तो आम जनता के साथ-साथ याचिकाकर्ता को भी गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

## दिल्ली विधानसभा के ई-विधान पोर्टल में जोड़ा गया विधान साथी टैब, विधायकों को तुरंत मिलेगी जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार के सत्र में हमने विधायकों के लिए ई-विधान पोर्टल में एक नया टैब जोड़ा है। यह नया टैब विधान साथी के नाम से होगा। इसमें दिए गए न्यूआर कोड को स्कैन करके विधायक सदन की कार्रवाई से संबंधित जानकारी, पुड़े गए प्रश्नों के उत्तर, विधानसभा में हुई चर्चा से संबंधित सभी सामग्री हासिल कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीके से विधायक अपने मोबाइल से न्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे बताया कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें विधान



साथी की सुविधा विधायकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार के विधानसभा सत्र में यह नई सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा प्रयास दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह पेपर लेस रखने पर है। हमने पिछले सत्र में किसी भी विधायक को कोई भी जानकारी हाईड कापी या पेपर के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई। सारी जानकारी उन्हें

आनलाइन ही उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि ई-विधान पोर्टल पर पहले से ही अधिकतर जानकारी अपलोड होती रही है। इस बार से विधान साथी के रूप में एक यह नई सुविधा विधायकों के लिए आसान विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। संक्षिप्त बजट सत्र बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तीन दिन के लिए सत्र बुलाया गया है। अगर

जरूरत पड़े तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। बजट में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बता दें कि तीन दिवसीय विधानसभा के बजट सत्र में 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अब तक सरकार हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए प्रतिनिधियों, डॉक्टर और महिला संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से बजट को लेकर सुझाव ले चुकी है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा एक लाख करोड़ रूपए का बजट पेश किया था, लेकिन सरकार एक साल पूरा से पहले जनवरी माह तक बजट का मात्र 42 प्रतिशत पैसा ही विकास योजनाओं में खर्च कर पाई थी। अब देखना होगा कि सरकार इस बार बजट का क्या साइज रखती है और पिछले बचे हुए पैसा का इस्तेमाल कब तक हो पता है।

## कंगना रनौत का हाल स्मृति ईरानी जैसा होगा, राहुल गांधी को टपोरी बताने पर बोलीं अलका लांबा

नई दिल्ली। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टपोरी कह दिया। उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कंगना रनौत स्मृति ईरानी की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी भी बहुत घमंड में थीं लेकिन सास भी कभी बहू की तरह मायब हो गईं। उनका आज पता नहीं है। कंगना रनौत का भी हाल वही होगा जो स्मृति ईरानी का हुआ। जैसे स्मृति ईरानी राजनीति से गायब हो गईं और उसी तरह कंगना रनौत का भी पता नहीं लगेगा। अलका लांबा ने कहा, 'राजनीति में शब्दों की नीचता तक वो जा रही हैं। उन्हें के हिमाचल में उन्हीं के एक विधायक पर नाबालिग बच्चे के बलात्कार में एफआईआर हुई, चार्जशीट हो गया और कोर्ट में पेश होना है। ये बीजेपी का विधायक है। उन्हें कहिए कि उस पर बोलेंगी क्या?

आप कुलदीप सिंह सेगर पर बोलीं? वृजभूषण शरण सिंह पर यीन उषीड़न के आरोप लगे, आप बोलीं? पैरोल पर इतने बलात्कारी बाहर आ रहे हैं, आप बोलीं? आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी क्योंकि आप उनके साथ खड़ी हैं कांग्रेस की नेता ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाएं उनसे कितने अपनपन से मिल रही थीं। महिलाएं भावुक हो रही थीं, गले मिल रही थीं। किसी को अस्हज महसूस नहीं हुआ। सिर्फ आप ही को नये महसूस होता है? सचाई ये है कि एक समय पर आपको नशे की बुरी लत थी। आप नशे में रही और उस नशे का असर सालों बाद भी लग रहा है कि जा नहीं रहा है। उस नशे का जो असर है, आज भी आप पर दिखता है कि आप मुझे पर नहीं बोलतीं। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता होती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर राखीय नशा मुक्ति आयोग का तुरंत गठन करें और उसका अध्यक्ष अपनी सांसद कंगना रनौत को बना दें।

## मनीष तिवारी का मोदी सरकार को समर्थन, पश्चिम एशिया संघर्ष पर बोले- यह हमारा युद्ध नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को पश्चिम एशिया संघर्ष पर केंद्र सरकार के संतुलित रुख का समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में सीमित भूमिका निभाई है और उसे रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संकट की व्यापकता और जटिलता को देखते हुए नई दिल्ली का सतर्क कूटनीतिक दृष्टिकोण उचित है। तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र एक ही युद्ध नहीं बल्कि कई परस्पर विरोधी संघर्षों का गवाह है। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ हो रहा है और अमेरिका का किसी एक पक्ष का साथ देना, केवल मध्य पूर्व को

स्थिति का मामला नहीं है... यह हमारा युद्ध नहीं है। हम हमेशा से ही वृहत्तर मध्य पूर्व में शांति पर रहे हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत को उन भू-राजनीतिक लड़ाइयों में उलझने से बचना चाहिए जिनका उससे सीधा संबंध नहीं है। संयमित रहने के महत्व पर जोर देते हुए तिवारी ने कहा कि भारत सतर्क रहकर सही कदम उठा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम सतर्क हैं, तो शायद हम सही ही कर रहे हैं, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता का यही अर्थ है - अपने हितों की रक्षा करने और सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता। संकट की शुरुआत से ही भारत ने पूरे क्षेत्र में अपने हितों को संतुलित करते हुए लगातार संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। हालांकि नई दिल्ली ने खाड़ी में ईरानी हमलों की निंदा की, लेकिन उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और

गैस के प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए तेहरान के साथ संपर्क भी बढ़ाया - यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो वैश्विक ऊर्जा शिपमेंट के लगभग पांचवें हिस्से को संचालित है। संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर समाविष्ट हमले किए, जिसमें कई स्थानों पर लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में वाशिंगटन और यरुशलम से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई। इस बीच, भारत खाड़ी क्षेत्र में हो रही अस्थिरता पर कड़ी नजर रख रहा है, क्योंकि यह अस्थिरता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा और इस क्षेत्र में रहने और काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है।

## गंभीर ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, एआई-डीपफेक के गलत इस्तेमाल पर रोक की लगाई गुहार

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। इस केस में उन्होंने डिजिटल नकल, एआई से बनाए गए डीपफेक और बिना अनुमति उनके नाम, चेहरे और आवाज के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल प्लेटफॉर्म पर बने कई फर्जी अकाउंट समाचार एजेंसी आईएनएस ने गंभीर की लोगल टीम के हवाले से बताया कि, 2025 के अंत से इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से नकली कंटेंट तेजी से बढ़ा है। एआई, फेस-स्वीपिंग और वॉइस-क्लॉनिंग तकनीक की मदद से ऐसे वीडियो बनाए गए, जिनमें उन्हें ऐसे बयान देते हुए दिखाया गया जो


उन्होंने कभी दिए ही नहीं। इनमें एक फर्जी इस्तीफे का वीडियो भी शामिल था, जिसे लाखों बार देखा गया। मामले में 16 पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे एमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा टेक कंपनियां जैसे मेटा प्लेटफॉर्म, गूगल और यूट्यूब का नाम भी इस केस में है। आईटी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि कोर्ट के आदेशों को लागू कराया जा सके। 2.5 करोड़ का हर्जाना मांगा यह मुकदमा कांपीराइट एक्ट 1957, ट्रेड मार्क एक्ट 1999 और कॉमर्सियल एक्ट 2015 के तहत दायर किया गया है। इसमें पहले दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जैसे आभिताथ

बच्चन बनाम रजत नेगी, अनिल कपूर बनाम सिम्पली लाइफ इंडिया और सुनील गावस्कर बनाम क्रिकेट तक, जिनमें परमैलिटी राइट्स को कानूनी सुरक्षा दी गई है। गंभीर ने कोर्ट से 2.5 करोड़ रुपये का हर्जाना, सभी आपत्तिजनक अकाउंट्स को हटाने, भविष्य में ऐसे इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने और मौजूदा कंटेंट को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील भी की है। इस पर गंभीर ने कहा कि उनकी पहचान और छवि का गलत इस्तेमाल कर फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है और इससे कमाई की जा रही है। उन्होंने इसे सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि कानून और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया, जो एआई के दौर में हर सार्वजनिक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है।

## भविष्य के युद्धों में ड्रोन अहम, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा- राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (जीआईएससी) के 14वें संस्करण की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज 100 से अधिक चुनौतियों के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (जीआईएससी) का 14वां संस्करण भी शुरू किया गया है। जीआईएससी की अब तक की सफलता को देखते हुए, हमारे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पहली बार 100 से अधिक चुनौतियां प्रस्तुत की जा रही हैं। मैं जीआईएससी के नए संस्करण

के लिए सभी नवप्रवर्तकों को शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को रक्षा निर्माण की सप्लाई चेन से जोड़ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब छोटे उद्योग बड़े रक्षा कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, तभी देश में नई खोज और तकनीक की रफ्तार तेज होगी। किसी भी देश के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में बड़े उद्योगों के साथ-साथ स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप और इनोवेटर्स की भूमिका बहुत अहम होती है। इसमें सरकार को सट्टे नीतियां भी बढ़ा योगदान देती है। उन्होंने कहा दुनिया के मौजूदा हालातों पर बात करते हुए राजनाथ सिंह ने



रूस-यूक्रेन और ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया इन

संघर्षों को देख रही है। इनसे यह साफ हो गया है कि भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक की

भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए भारत को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना होगा, जिसमें हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ अंतिम उत्पाद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें ड्रोन के हर पुर्जे को भारत में ही बनाना होगा। ड्रोन का ढांचा (मोड्यूल), सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि यह काम आसान नहीं है। आज दुनिया के कई देश ड्रोन बनाने के लिए जरूरी पुर्जे चीन से मंगवाते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा

और रणनीतिक मजबूती के लिए हमें ड्रोन निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने आधुनिक तकनीकों जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये तकनीकें पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बदल रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत स्वदेशी ड्रोन निर्माण का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र (ग्लोबल हब) बन जाए। उन्होंने थोड़ा दिलाया कि इस मिशन में सरकार हर संभव मदद और सहयोग देगी।



# ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम सद्मपन्न हुआ

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

ग्राम प्रधान/स्थानीय प्राधिकारी,निकायों के सदस्यों का एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम चकिया के मंशा लान में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विनय प्रकाश गौड़ विधायक रामकोला मुख्य अतिथि तथा विनोद कुमार गुप्ता उपजिलाधिकारी कप्तानगंज विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम प्रधानों ने सरकारी स्कूलों में कार्यालय के तहत बहुत अच्छे काम किया है। विनोद कुमार गुप्ता उपजिलाधिकारी कप्तानगंज ने बताया

कि SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षकों की बदौलत कप्तानगंज तहसील मंडल में पहले स्थान पर रहा। इस कार्यक्रम के मुखिया खंड शिक्षा अधिकारी डॉ प्रभात चंद राय जी ने सबको संबोधित करते हुए बताया कि ग्राम प्रधान और शिक्षक आपसी तालमेल से बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे और बेसिक स्कूलों की दशा बदल रहे। प्रभात सर ने कप्तानगंज ब्लॉक में कार्यरत ARP गण मोहम्मद सलीम अली, प्रवीण कुमार शुक्ला, त्रिपुरारी नाथ मिश्रा, दिलीप कुमार और विनोद कुमार सिंह को विशेष आभार प्रकट किया, जिनकी देख रेख में निपुण असेसमेंट में कप्तानगंज ब्लॉक ने

जनपद पहला स्थान हासिल किया। जिले के SRG श्री राम प्रकाश पाण्डेय और ब्लॉक की ARP टीम ने कार्यालय और नव भारत साक्षरता, विद्यालय प्रबंध समिति और MDM, निपुण भारत मिशन, ICT लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल उपस्थिति, शारदा कार्यक्रम समर्थ और नवीन नामांकन पर अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर आयोजन स्थल प्रभारी के रूप में राजेश्वर सिंह, दिनेश पाण्डेय, संजीव गौड़, मंचीय व्यवस्था में रजनीश प्रकाश सिंह, मुकुंद देव सिंह, धर्मप्रकाश पाठक, धर्नजय पाण्डेय, मंच संचालन में हरे कृष्ण पाण्डेय, विनयतोष शुक्ला, रंगेली

समिति में, मनोरमा सिंह, पूजा सिंह, राम आशीष प्रसाद, दीप प्रज्वलन में बलिराम चौहान, मनोरमा त्रिपाठी, मनोरमा सिंह, पूजा मिश्रा, वंदना राव, जलपान प्रभारी में रामाश्रय दुबे, विजय प्रकाश तिवारी, आंकार सिंह, विनोद ओझा, विनोद कुमार सिंह, रामदयाल जी, विशिष्ट सहयोग समिति में पंकज राय, पुनीत राय, अनुपम मल्लेशिया, सतीश सिंह और दिनेश शुक्ला जी, इन सभी बहुत अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस संगोष्ठी में ब्लॉक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों के साथ साथ राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति में चयनित बच्चों और

नवोदय परीक्षा उत्तीर्ण एक छात्र को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्लॉक में उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र, शाल और फूल माला के साथ सम्मानित किया गया। उच्च प्रा वि बड़हरा बाबू, कन्या उच्च प्रा वि कप्तानगंज और कपोजित उच्च प्रा वि चकिया के बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसी साल सेवा निवृत्त हो रहे दो शिक्षिकाओं श्रीमती रीता विश्वकर्मा और श्रीमती मधुलिका मसीह को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्मृति चिन्ह और भेंट देकर सम्मानित किया गया।

जिला स्काउट मास्टर अंजनी नंदन द्विवेदी और जिला गाइड कैप्टन मनोरमा त्रिपाठी जी ने अपने बच्चों की टीम के साथ माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय का अच्छे से स्वागत किया। मीडिया प्रभारी और जिला महामंत्री ARP संघ मो सलीम अली ने बताया कि इस अवसर पर सभी शैक्षिक संगठनों के अध्यक्ष और मंत्री के साथ साथ समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नागेंद्र पाठक, भूतपूर्व अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ का बहुमूल्य योगदान रहा।

## नेबुआ नौरंगिया में प्रेम प्रसंग में युवक की सदिग्ध मौत- अदालत के आदेश पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नेबुआ नौरंगिया थाना,

कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बरवा पूर्विल गांव में एक युवक की सदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। जानिए पूरा मामला। मृतक युवक सैदुल्लाह को मां अख्तरा उर्फ सोना ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन इस



बात से नाराज थे और सैदुल्लाह को

लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मां के अनुसार, 3 जनवरी की शाम करीब चार से छह बजे के बीच जाकर, रविउल्लाह, तारीफ, आसमा और हसरत ने सैदुल्लाह को रास्ते में रोककर मारपीट की। उन्होंने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी और उसके परिवार को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस घटना से आहत होकर युवक उसी रात घर लौटा और अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपियों द्वारा उन्हें लगातार

धमकियां दी जाती रहीं। मृतक की मां ने बताया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाय। न्यायालय के निर्देशक रात को पुलिस ने जाकर, रविउल्लाह, तारीफ, आसमा और हसरत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति ने पुष्टि की कि न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

## युवक को पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल



कुशीनगर।

जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल अकबरपुर गांव में एक युवक को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना का करीब 12 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जंगल अकबरपुर निवासी एम.डी. राज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 मार्च 2026 को दोपहर करीब 12 बजे वह घर से दुकान जा रहे थे। इसी दौरान घर से लगभग 150 मीटर दूरी पर गांव के ही विशाल गौतम, आकाश पासवान, इंद्रासन भारती तथा एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से पहुंचे और उन्हें पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए।

एक आरोपी पकड़ा गया, अन्य फरार पीड़ित के अनुसार घटना के बाद उन्होंने अपने एक परिचित को सूचना दी, जिसके सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। पकड़े गए युवक के पास से पिस्टल मिलने का भी दावा किया गया है, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। पुरानी रजिश्न बताई जा रही वजह तहरीर में पीड़ित ने बताया कि मुख्य आरोपी से उनकी पुरानी रजिश्न चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

## कुशीनगर में 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील' अभियान, 31 नमूनों की जांच—एक अशुद्ध पाया गया

कुशीनगर। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-1 प्रदीप कुमार राय के निर्देशन में एफ.एस.डब्ल्यू. (फूड सेफ्टी ऑन व्हील) सचल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न स्थानों पर जांच और जागरूकता अभियान संचालित किया गया। यह अभियान रविन्द्रनगर धूस (पडरौना), शहीद चौक कसया एवं गांधी चौक कसया में चलाया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान ने खाद्य कारोबारियों और आम

नागरिकों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों की मौके पर प्राथमिक जांच की। जांच के बाद संबंधित लोगों को परिणामों से अवगत कराते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों, धरेलु जांच विधियों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। अभियान के दौरान कुल 31 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें 30 नमूने शुद्ध पाए गए, जबकि एक नमूना अशुद्ध मिला। साबुत जीरा में बाहरी तत्व पाए जाने पर संबंधित दुकानदार को कड़ी चेतावनी दी गई। नवरात्रि एवं रामनवमी पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष सघन अभियान भी चलाया। इस दौरान दुकानों और खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर

स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को ढककर रखने और केवल शुद्ध सामग्री के विक्रय के निर्देश दिए गए। मिलावट की आशंका के आधार पर अज्ञात ग्राहकों (रविन्द्रनगर धूस, पडरौना) से सिंघाड़ा आटा व कुट्ट आटा तथा कसया क्षेत्र से साबुतना सहित कुल चार नमूने जांच के लिए संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छपेमारी टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कन्हैया लाल वर्मा और राम बुझावन चौहान शामिल रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

## मलिन बस्तियों से बारीपुर धाम तक सेवा का संकल्प



भटनी देवरिया।

जनहित में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही आर्यावर्त संकल्प सोसाइटी द्वारा भटनी क्षेत्र की मलिन बस्तियों एवं देवरिया के बारीपुर धाम स्थित हनुमान मंदिर पर निशुल्क भोजन भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों ने न सिर्फ सेवा भाव का परिचय दिया, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी संदेश दिया। संस्था की प्रवक्ता शिखा श्रीवास्तव ने भंडारा पूर्ण कराते हुए कहा कि वे स्थानीय महिलाओं में चेतना जागृत करने का

कार्य निरंतर करती रहेंगी, जब तक हर बालिका स्वयं को सुरक्षित, स्वतंत्र और शिक्षा के प्रति प्रेरित महसूस न करने लगे। उन्होंने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर विशेष जोर दिया। वहीं संस्था की प्रबंधक अनुराधा बरनवाल ने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे धरेलु कार्यों के साथ अपनी आय का स्रोत भी विकसित कर सकें। उन्होंने कहा कि संस्था समाज के दबे-

आर्यावर्त संकल्प सोसाइटी ने कराया भंडारा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया जोर

कुचले, शोषित और वंचित वर्ग के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सोसाइटी के सेक्रेटरी अभिषेक मिश्र ने समाज में चेतना के विकास और महिलाओं को जागरूक करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उनके मार्गदर्शन में मलिन बस्तियों में भोजन वितरण तथा धाम पर भंडारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बारीपुर हनुमान मंदिर के महंत, प्रबंधक कैप्टन जयराम यादव, मीना यादव, प्रार्थना राय, वी.के. श्रीवास्तव, शिक्षक विजय रतन श्रीवास्तव, आशुतोष मणि त्रिपाठी, अधीक्षक रामकृपाल, महिला थाना अध्यक्ष पूनम यादव, सुमन पांडेय, प्राचार्य मोहन शर्मा, अधिवक्ता राजकुमार, प्रशांत, विनय मिश्र, पूजा मिश्रा, कीर्ति गुप्ता, सिंधु कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

## पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत



देवरिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी और अधिवक्ता-एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। यह मामला देवरिया जिले में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी के नाम पर जिला उद्योग केंद्र का एक औद्योगिक प्लाट

आवंटित करा लिया था। नूतन ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अदालत में पक्ष रखा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जितेंद्र सिन्हा की एकल पीठ में हुई, जहां अदालत ने नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत दे दी। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का

1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए पत्नी के नाम पर जमीन आवंटन का है मामला

दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट नंबर बी-2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर (तब नूतन देवी) के नाम पर करा दिया था। इस मामले में देवरिया में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जाता है कि वह लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को भी अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच अब भी जारी है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से ठाकुर दंपति को बड़ी राहत मिली है।

